उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या- 101/2020/ 1477 /92-2-2020-64एम/2019
लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में कार्यरत रहने के दौरान जनपद- बलरामपुर के विकास खण्ड- तुलसीपुर के ग्राम पंचायत गनेशपुर में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड के निर्माण एवं विकास खण्ड-तुलसीपुर के ग्राम पंचायत होमपुर में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत सी0सी0रोड के निर्माण में कार्यों को पूर्व में मानक के अनुरूप न कराये जाने हेतु प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में ससमय उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 101 /2020/ 1477 (1) /92-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक- जी-33/पी0ए0-सी0टी0ई0/2904-176/04/2010-21, दि 29-07-2020 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि श्री अनिल कुमार सक्सेना के विरूद्ध आरोप-पत्र (02 प्रतियों में) गठित कर शासन को 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर।
4- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-बलरामपुर सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in